F.No. 1-878/2018-D-IV

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

सचिवालय/SECRETARIAT

Port Blair, dated June, 2019

PRESS NOTE

It is brought to notice of all concerned that the draft Recruitment Rules for the post of PRINCIPAL in the establishment of Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidyalaya, Port Blair and Mahatma Gandhi Government College, Mayabunder has been framed for obtaining claims/objections and comments (if any) from the stakeholders **within 30 days** of the publication of the Recruitment Rules. The same is uploaded in the website www.andamangov.in. The claims and objection may be addressed to undersigned.

Deputy Secretary (Hr.Edn.)
A & N Administration
Secretariat

Copy to:-

1. PS to Secretary (Edn.), A & N Administration for kind information of the Secretary (Edn.).
2. The Director (IP), A & N Administration for information and necessary action.
3. The Chief Editor, 'The Daily Telegrams' Port Blair. It is requested that the above press note may kindly be published with Notification and Schedule of the RRs (enclosed) in the "Daily Telegrams" for 02 (two) consecutive days w.e.f. June, 2019, for inviting claim and objection from the stakeholders within 30 days of publication and two copies of the edition may be forwarded to the undersign for reference and record.
4. The Chief Editor, "Dweep Samachar" for necessary action.
5. The Executive Officer (SOVTECH), DBRAIT Campus, Pahargaon, Port Blair with the request to upload the above NOTICE along with draft notification and schedule of RRs for the post of Assistant Professor in the website www.andaman.gov.in .
6. The Principal, JNRM/MGGC for information please.

Deputy Secretary (Hr.Edn.)
A & N Administration
Secretariat

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय / SECRETARIAT

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक   माई, 2019

अधिसूचना

जी.एस.आर...................... भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन जवाहरलाल नेहरु राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर तथा महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर के स्थापना में धारित ''**प्राचार्य**'' के **वर्ग 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय** पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :–

   (i) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में जवाहरलाल नेहरु राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर तथा महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर के स्थापना में धारित ''**प्राचार्य**'' के **वर्ग 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय** पद की भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाएगा।

   (ii) यह नियमावली इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. **अनुप्रयोग:–**

   यह नियमावली इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (I) में विनिर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :–**

   पदों की संख्या, इसके वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे जो इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा योग्यताएँ इत्यादि:–**

   उक्त पद से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा अन्य बातें इस नियमावली के उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

5. **अयोग्यताएँ :–**

   कोई भी ऐसा व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने :–

   (क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

   (ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह संविदा की हो,

   बशर्ते कि केन्द्र सरकार को यह समाधान हो जाने पर कि ऐसे विवाह उस व्यक्ति को और उस विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकते हैं ।

6. **ढील देने की शक्ति :–**

   जहाँ केन्द्र सरकार की राय में किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो तो केन्द्र सरकार ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर आदेश द्वारा ऐसा कर सकते हैं ।

7. **व्यावृत्ति:–**

   इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित कराना अपेक्षित है ।

एडमिरल डी.के. जोशी, पी.वी.एस.एम, ए.वी.एस.एम, वाई.एस.एम, एन.एम, वी.एस.एम,(अ.प्र.)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
के आदेश से तथा उनके नाम पर

उप सचिव (उच्च शिक्षा)

<u>अनुसूची</u>

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
प्राचार्य	02 (2019) [01 - प्राचार्य (स्नातकोत्तर महाविद्यालय), जवाहरलाल नेहरु राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर। 01 - प्राचार्य (स्नातक–पूर्व महाविद्यालय), महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर]	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित, अलिपिकीय	**स्नातकोत्तर महाविद्यालय** शैक्षिक स्तर–14 के साथ युक्तिकृत प्रवेश वेतन `1,44,200/– (परिशोधित वेतनमान) सहित विद्यमान विशेष भत्ता `3000/– प्रति माह। **स्नातक–पूर्व महाविद्यालय** शैक्षिक स्तर–13 A के साथ युक्तिकृत प्रवेश वेतन `1,31,400/– (परिशोधित वेतनमान) सहित विद्यमान विशेष भत्ता `2000/– प्रति माह।

चयनपद या गैर चयनपद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(5)	(6)
लागू नहीं होगें।	56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **नोट 1:** *केन्द्र सरकार के द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को पाँच वर्ष तक का रियायत मिलेगा।* **नोट 2:–** *भारत के उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णयक तिथि होगी और न की असम, मेघालय, अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कशमीर राज्य के लद्दाख मण्डल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल तथा स्पिति जिला तथा चम्बा जिले का पन्गी उप मण्डल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि।*

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य योग्ताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगे ?
(7)	(8)
<u>अनिवार्य योग्ताएँ:–</u> **<u>पात्रता:–</u>** 1. पी.एच.डी./विद्या वाचस्पति 2. किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में शिक्षा/अनुसंधान में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम 15 वर्षो की सेवा/अनुभव। 3. यू.जी.सी सूचीयन जर्नल या सहकर्मी समीक्षा (पीर–रिवीयूड) में कम से कम 10 अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन।	लागू नहीं होंगे

4. परिशिष्ट–II के तालिका 2 के अनुसार कम से कम 110 अनुसंधान स्कोर। **कार्यकालः–** 1. किसी महाविद्यालय के प्राचार्य को पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और इस नियुक्ति को विनियम के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के द्वारा की गई निष्पादन निर्धारण के आधार पर अगले पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए बढाया जा सकता है। पदधारी को प्राचार्य के रूप में अपनी कार्यकाल के समाप्ति पर वापस अपने मूल संगठन में प्रोफेसर के पद पर और प्रोफेसर के ग्रेड पर पदभार ग्रहण करना होगा।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आकोलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत ।
(9)	**(10)**
लागू नहीं होंगे	प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.)

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानातरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति किया जाना है
(11)
प्रतिनियुक्तिः– केन्दीय / राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र के अधीन कार्यरत अधिकारी जो / जिन्होंनेः– (क) (i) मूल कॉडर / विभाग में नियमित आधार पर समान / अनुरूप पद धारण करता / करती हो। (ii) मूल कॉडर / विभाग वेतन स्तर–14 / 13 (A) या इसके अनुरूप के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 15 वर्ष की सेवा प्रदान किया हो; एवं (ख) कॉलम संख्या 7 के अनुसार योग्यताएँ एवं अनुभव रखता हो। (ग) वेतन स्तर–14 / 13 (A) में कार्यरत विभागीय अधिकारी जिन्होंने इस ग्रेड में 15 वर्ष की नियमित सेवा की है तथा जिनके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु निर्धारित शैक्षितक योग्यताएँ एवं अनुभव हो, उनको भी बाहरी उम्मीदवारों के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यदि इस पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवारों का चयन होता है तो इस पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। **नोटः–** *आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले उम्मीदवार की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।*

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है ?	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
(12)	**(13)**
लागू नहीं होगें।	प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के मामले में जब चयन का दायरा केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत हो और इस नियम में संशोधन एवं ढ़ील/छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरु राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर/महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय, मायाबंदर के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1- नीति निर्माण, संचालन प्रबंधन, मानव संसाधनों का अनुकूलन/इष्टतम उपयोग तथा पर्यवरण एवं संधारणीयता के प्रति सचेतना के माध्यम से महाविद्यालय में प्रेरणा एवं अभिप्रेरण तथा मूल्य–आधारित शैक्षणिक और कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करना।

2- पारदर्शिता, निष्पक्षता, इमानदारी, उच्च नैतिकता का आचारण एवं ऐसे निर्णय लेना, जो महाविद्यालय के श्रेष्ठत्म हित में हों।

3- कार्य करने और सीखने के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदारी, बेहतरी, प्रभावी एवं कुशलता से महाविद्यालय के संसधानों का प्रबंधन करने के लिए प्रबंधक के रूप में कार्य करना।

4- महाविद्यालय में सहयोग, साझा और परामर्शदायी कार्य पद्धति को बढ़ावा देना, नई सोच और विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त करना।

5- कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करना, जो गुणवत्ता, व्यवसायिकता, संतुष्टि प्रदान करने के साथ–साथ समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी हो।

6- समुदाय द्वारा अपेक्षित आचरण और व्यवहार की जिम्मेदारी को निभाना।

7- व्यवसायक/वृतिका की मर्यादा के अनुरूप अपने निजी मामलों का प्रबंधन करना।

8- शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में साहित्यिक चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित न करें और न ही ऐसी प्रवृतियों में लिप्त हों।

9- सामुदायिक सेवा सहित विस्तार, सह–पाठ्यक्रम और पाठ्येतर क्रियाकलापों में भाग लेना।

10- अपने व्यवसायिक उद्यम में जाति, पंथ–व–धर्म, वंश एवं लिंग के आधार पर पक्ष–पात करने की प्रवृति से बचें।

11- विभाग/महाविद्यालय के बेहतरी के लिए महाविद्यालियों की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न निकायों जैसे अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, पोंडिचेरी विश्वविद्यालय, भारत सरकार, एन.ए.ए.सी, विभिन्न शैक्षिक संस्थान के साथ समन्वय करना।

12- विभाग/महाविद्यालय से संबंधित योजना स्कीम तैयार करना।

13- समाज को बेहतर शैक्षिण सेवा प्रदान करने हेतु निपुण शिक्षक उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना ।

14- महाविद्यालय, विद्यार्थी और प्राचार्य के साथ काम कर रहे कर्मचारियों के कल्याण की संरक्षण करना।

15- विभाग/महाविद्यालय के सुचारू रूप से कार्य करने एवं इसकी मजबूती के लिए अपने वरिष्ठों को सहयोग प्रदान करना।

16- प्रशिक्षणार्थियों एवं शिक्षकों के लिए अनुसंधान क्रियाकलापों, शिक्षिण सर्वेक्षण, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन करना।

17- भारत सरकार/अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के आर्दश महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए सतत प्रयास करना।

18- शिक्षा/समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए नवोन्मेष शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ करना।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION

सचिवालय/**SECRETARIAT**

Port Blair, dated June, 2019.

NOTIFICATION

GSR……… In exercise of the power conferred by Proviso to Article 309 of Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group ‘A’ Gazettted Non-Ministerial post of **Principal** born in the establishment Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidyalaya, Port Blair and Mahatma Gandhi Government College, Mayabunder, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair namely:-

1. **Short title and commencement**
   i. These rules may be called the Andaman and Nicobar Administration Group ‘A’ Gazetted Non-Ministerial post of Principal in the establishment of Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidyalaya, Port Blair and Mahatma Gandhi Government College, Mayabunder Recruitment Rules, 2019.
   ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application**

   These rules shall apply to the post specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Number of posts, Classification and scale of pay.**

   The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc**.

   The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.
5. **Disqualification**- No Person
   a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post.

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under any personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

Contd....2

6. **Power of Relax**

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. **Saving**

Nothing in these rules shall affect the reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Admiral D.K. Joshi,
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor
Andaman and Nicobar Islands

By order and in the name of the Lt. Governor
(Administrator) A & N Islands

Secretary (Hr.Edn.)

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Principal	02 (2019) [01 Principal (Post Graduate College), Jawaharlal Nehru Rajkeeya Mahavidyalaya, Port Blair. 01 Principal (Under Graduate College), Mahatma Gandhi Government College, Mayabunder.]	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	**Post Graduate College** Academic Level - 14 with rationalized entry pay of `.1,44,200 (Revised Pay Scale) with existing special allowance of `. 3000/- per month. **Under Graduate College** Academic Level- 13A with rationalized entry pay of `. 1,31,400/- (Revised Pay Scale) with existing Special allowance of `. 2000/- per month.

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(5)	**(6)**
Not applicable	Not exceeding 56 years **Note 1:** Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from Candidates in India and not the closing date prescribe for those in Assam, Meghalay, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.
(7)	**(8)**
ESSENTIAL QUALIFICATION. **Eligibility** i. Ph.D degree. ii. Professor/Associate Professor with a total service/experience of at least fifteen years of teaching/research in Universities, Colleges and other institutions of higher education. iii. A minimum of 10 research publications in peer-reviewed or UGC-listed journals. iv. A minimum of 110 research score as per Appendix II, Table 2. **Tenure** i. A college Principal shall be appointed for a period of five years, extendable for another term of five years on the basis of performance assessment by a Committee appointed by the University, constituted as per the regulations. ii. After the completion of his/her term as Principal, the incumbent shall join back his/her parent organization with the designation as Professor and in the grade of the Professor.	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(9)	**(10)**
Not applicable	Deputation(ISTC)

In case of recruitment by promotion / Deputation / absorption, grades from which promotion/deputation to be made
(11)
Deputation: Officer under Central/ State Govt./ UTs:- a. (i) Holding analogues post on regular basis in the parent cadre / department; (ii) With Fifteen years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the Pay Level-14/13(A) Or equivalent in the parent cadre or department; and b. Possessing the qualifications and experience as per col.7. c. The departmental officer in Pay Level-14/13(A) with Fifteen years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidates is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note: -** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(12)	**(13)**
Not applicable	For appointment on deputation when the field of selection includes Central/ State Govt. / UTs consultation with UPSC necessary and while amending and relaxing of this Rules.

JOB DESCRIPTION IN RESPECT OF THE PRINCIPAL JNRM/MGGC

1. Provide inspiration and motivation value-based academic and executive leadership to the college through policy formation, operational management, optimization of human resources and concern for environment and sustainability.

2. Conduct himself/herself with transparency, fairness, honesty, highest degree of ethics and decision making that is in the best interest of the college.

3. Act as steward of the college's assets in managing the resources, responsibility, optimally, effectively and efficiently for providing a conducive working and learning environment.

4. Promote the collaborative, shared and consultative work culture in the college, paving way for innovative thinking and ideas.

5. Endeavour to promote a work culture and ethics that brings about quality, professionalism, satisfaction and service to the nation and society.

6. Adhere to a responsible pattern of conduct and demeanor expected of them by the community;

7. Manage their private affairs in a manner consistent with the dignity of the profession;

8. Discourage and not indulge in plagiarism and other non-ethical behaviour in teaching and research;

9. Participate in extension, co-curricular and extra-curricular activities, including the community service.

10. Refrain from allowing considerations of caste, creed and religion, race, gender or sex in their professional endeavour.

11. To co-ordinate with the different bodies related to the colleges activities viz A & N Administration, affiliating/ recognizing agencies like UGC, UPSC, Pondicherry University, GOI, NAAC, different educational Institution for betterment of the department/ College.

12. To prepare plan scheme related to the Department/ College.

13. To train quality teacher for providing better educational service to the society.

14. To protect the welfare of the college, student and staff working with the Principal.

15. To extend Co-operation to the superiors for strengthening and smooth functioning of the Department/ College.

16. To conduct research activities, educational surveys, seminars, workshops, orientation programme for trainees and teachers.

17. To try to work hard for developing a Model Department/ College of A & N Administration/ GOI.

18. To introduce innovative educational programmes for responding the challenges of Education/ society.

****